दिनांक 21-01-2024 को पूर्व में अपने पिता की हत्या करने एंव पत्नी की हत्या करने का प्रयास करने वाले अभियुक्त ने मसूरी में पुलिस टीम पर किया जानलेवा हमला, अभियुक्त पुलिस मुठभेड में हुआ घायल, दून पुलिस ने किया गिरफ्तार।

दिनांक 13-01-24 को रायपुर पुलिस को थानो रोड बड़ासी पुल के नीचे एक महिला घायल अवस्था में बेहोशी की हालत में मिली को पुलिस द्वारा उपचार हेतु दून अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां डॉक्टरो द्वारा महिला के सर के दाहिने हिस्से गहरी चोट लगना तथा उपचार के दौरान डाक्टरों बताया गया घायल महिला के सर पर गोली लगी है तथा उसकी स्थिति गंभीर में बनी हुई है। महिला की पहचान हेतु उसके फोटो सोशल मीडिया के माध्यम से प्रसारित किये गये थे, जिस पर हरिद्वार निवासी उक्त महिला की बहन काव्या द्वारा फेसबुक पोस्ट देखकर थाना रायपुर पुलिस द्वारा सम्पर्क किया तथा देहरादून आकर उक्त महिला की पहचान तान्या राजपूत पुत्री हेमराज चौहान, निवासी टाटा मोटर्स इंडस्ट्रीज एरिया, लोधा मंडी, हरिद्वार के रूप मे की गई। घायल महिला की बहन द्वारा बताया गया कि तान्या द्वारा शुभम पुत्र प्रभुदयाल निवासी सोनीपत हरियाणा से वर्ष 2020 में प्रेम विवाह किया था तथा शादी के बाद वह मायके वालो से ज्यादा सम्पर्क न रखते हुए सोनीपत हरियाणा में ही रहती थी। इस संबंध में घायल महिला की बहन काव्या द्वारा थाना रायपुर में दी गई तहरीर के आधार पर अज्ञात के विरूद्ध हत्या के प्रयास का अभियोग पंजीकृत किया गया, जिसकी विवेचना उ0नि0 मिथुन कुमार के सुपुर्द की गई। मजिस्ट्रेट की उपस्थिती में घायल महिला के बयान लेने के प्रयास किये गये परन्तु महिला के बयान देने की स्थिती में न होने के कारण उसके साथ हुई। घटना के सम्बन्ध में कोई स्पष्ट जानकारी पुलिस को प्राप्त नहीं हो पाई। घटना के सम्बन्ध में महिला की बहन द्वारा उसके पति पर भी शक जाहिर किया गया था।

घटना के अनावरण हेतु एसएसपी देहरादून के निर्देशो पर अलग-अलग टीमों का गठन किया गया। पुलिस टीम को घायल महिला के ससुर प्रभुदयाल के सितम्बर 2023 में घर से लापता होने तथा इस सम्बंध में थाना सोनीपत हरियाणा में उनकी गुमशुदगी दर्ज होने की जानकारी प्राप्त हुई तथा उसके बाद से ही उक्त महिला तथा उसके पति के भी घर से कहीं चले जाने तथा अपने मोबाइल नम्बर स्विच ऑफ करने की जानकारी भी पुलिस टीम को प्राप्त हुई। अन्य टीमों द्वारा घटना स्थल का बारीकी से निरीक्षण कर उक्त मार्ग पर लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेजों का विश्लेषण किया गया तो उक्त महिला का एक संधिक्त कार DL 10 CF 7165 फोर्ड इको स्पोर्ट्स के माध्यम से घटनास्थल तक आने की जानकारी पुलिस को प्राप्त हुई, जिसे पुलिस द्वारा सुरागरसी पतारसी करते हुए जॉली ग्रांट पार्किंग से बरामद किया गया। आरटीओ कार्यालय से उक्त वाहन के संबंध में जानकारी करने पर उक्त वाहन में फर्जी नंबर प्लेट का इस्तेमाल किया जाना पाया गया। वाहन की तलाशी लेने पर उक्त वाहन से एक नंबर प्लेट HR 26 DF 0996, एक जिंदा कारतूस, 02 खोखा कारतूस व अन्य सामान बरामद हुआ। बरामद नंबर प्लेट की जानकारी तथा घायल महिला की बहन से पूछताछ में उक्त कार का शुभम की होना ज्ञात हुआ। जिस पर पुलिस टीम द्वारा अभियुक्त शिवम के संबंध में जानकारी हेतु उक्त मार्ग पर लगे लगभग 250 से 300 सीसीटीवी कैमरों को चैक किया गया, जिसमें शिवम स्कूटी के माध्यम से तान्या को तपोवन मुनि की रेती से जॉलीग्रान्ट लाता हुआ तथा जॉलीग्रान्ट से कार के माध्यम से घटना स्थल तक आता हुआ दिखाई दिया। पुलिस टीम द्वारा तपोवन में अभियुक्त शुभम के संबंध में जानकारी प्राप्त करने हेतु होटलो की चैकिंग की गई तो उसका तपोवन, मुनिकीरेती स्थित अराधना पैलेस होटल में 27 दिसम्बर से 14 जनवरी तक रूके होने की जानकारी पुलिस टीम को प्राप्त हुई। होटल मालिक से पूछताछ में उसके द्वारा बताया गया कि शुभम द्वारा 01 महीने के लिये होटल में कमरा लिया गया था तथा दिनांक: 13-01-24 को वह अपनी पत्नी तान्या के साथ बाहर घूमने जाने की बात कहकर गया था तथा शाम को अकेले ही वापस होटल आया था। उसके बाद शुभम दिनाँक 15-01-24 की सुबह अपना सामान लेकर होटल से चला गया। उक्त होटल से पुलिस को अभियुक्त शुभम का एक संदिग्ध मोबाइल नम्बर प्राप्त हुआ, जिसकी लोकेशन निकालने पर उक्त नम्बर की लोकेशन का माल रोड मसूरी में होना ज्ञात हुआ, जिस पर तत्काल उ0नि0 मिथुन कुमार, उ0नि0 सुनील नेगी तथा उ0नि0 जयवीर सिंह के नेतृत्व में पुलिस टीम को अभियुक्त की धरपकड हेतु मसूरी रवाना किया गया। पुलिस टीम द्वारा मसूरी में मोबाइल नम्बर की लोकेशन के आधार पर माल रोड स्थित अलग-अलग होटलों में अभियुक्त की तलाश हेतु चैकिंग की गई, चैकिंग के दौरान साक्षी होम स्टे मसूरी के रजिस्टर में शुभम नाम के व्यक्ति के 15 जनवरी से होटल के कमरे में रूका होना पाया गया, जिस पर पुलिस टीम द्वारा उक्त कमरे का दरवाजा खुलवाकर अभियुक्त को पकडने का प्रयास किया गया, तो अभियुक्त द्वारा अपने पास पहले से रखी देसी पिस्टल से पुलिस टीम पर फायर कर

दिया, जिसमें पुलिस टीम में मौजूद उ0नि0 मिथुन कुमार के पेट में गोली लग गई तथा अभियुक्त मौके से फरार हो गया। पुलिस टीम पर किये गये जानलेवा हमले के सम्बंध में उ0नि0 सुनील नेगी द्वारा थाना मसूरी में मु0अ0सं0-2/24, धारा 307, 332, 353 भादवि का अभियोग पंजीकृत कराया गया। घटना के सम्बंध में तत्काल उच्चाधिकारीगणों को सूचित करते हुए घायल उ0नि0 मिथुन कुमार को उपचार हेतु मैक्स अस्पताल में भर्ती कराया गया। पूरे घटनाक्रम तथा पुलिस कार्यवाही के संबंध में तत्काल एसएसपी देहरादून द्वारा पुलिस महानिदेशक उत्तराखण्ड महोदय को अवगत कराया गया, जिस पर डीजीपी महोदय द्वारा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक देहरादून को घायल पुलिस कर्मी को उपचार की सभी बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गए तथा स्वयं भी मैक्स अस्पताल में डॉक्टरों से वार्ता कर घायल उ0नि0 के सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त की गई। फरार अभियुक्त की धरपकड़ हेतु तत्काल पुलिस अधीक्षक यातायात तथा पुलिस अधीक्षक नगर मौके पर पहुंचे तथा घटना के सम्बन्ध में कंट्रोल रूम के माध्यम से सभी थानों को एलर्ट करते हुए सघन चैकिंग अभियान चलाया गया। इस दौरान कुठालगेट पर पुलिस चैकिंग के दौरान मसूरी की ओर से आती हुई एक स्विफ्ट कार UK-07-TD-1408 पुलिस बैरियर से पहले कुछ दूरी पर पुलिस चैकिंग को देखकर रूक गई तथा वापस मसूरी की ओर जाने लगी, जिसका मौके पर मौजूद पुलिस टीम द्वारा सरकारी वाहन से पीछा किया गया तो कुछ दूरी पर अभियुक्त के हुलिए से मिलता-जुलता एक संदिग्ध व्यक्ति उक्त वाहन से उतरकर जंगल की ओर भागने लगा, जिसे पुलिस टीम द्वारा मौंके पर पकडने का प्रयास किया गया तो उसके द्वारा पुलिस टीम पर फायर कर दिया, जिसमें 02 बुलेट मौके पर पुलिस के वाहन पर लगी, अपने बचाव मे पुलिस द्वारा किये गये जवाबी फायर में अभियुक्त के पैर पर गोली लग गई, जिसे पुलिस टीम द्वारा उपचार हेतु मैक्स अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मौके पर पुलिस को अभियुक्त के पास से 02 देसी पिस्टल 32 बोर तथा 03 जिन्दा कारतूस, 02 खोखे बरामद हुए। घटना के सम्बंध में उ0नि0 धनीराम पुरोहित द्वारा अभियुक्त के विरूद्व पुलिस टीम पर जानलेवा हमला करने तथा अवैध असलाह बरामद होने के सम्बंध में मु0अ0सं0-14/24, धारा 307 भादवि तथा 3/25/27 आर्म्स एक्ट का अभियोग पंजीकृत कराया गया।

पूछताछ के विवरण :-

अभियुक्त से प्रारम्भिक पूछताछ में उसके द्वारा बताया गया कि उसके द्वारा हरियाणा में विभिन्न लोगों से 40 से 50 लाख रू0 का उधार लिया गया था, जो उस पर उधार वापस करने के लिये लगातार दबाव बना रहे थे। उसके द्वारा अपने पिता से पैसों की मांग करने पर उनके द्वारा मना कर दिया गया, जिस पर अभियुक्त ने सम्पत्ति के लालच में अपने पिता को रास्ते से हटाने की योजना बनाई तथा सितम्बर 2023 में सोनीपत में उनकी गोली मारकर हत्या कर दी तथा हत्या के बाद उसके शव को मुज्जफरनगर से हरिद्वार के बीच जंगल मे ठिकाने लगा दिया। उसके बाद अभियुक्त अपनी पत्नी को लेकर वहां से फरार हो गया। सोनीपत से भागने के बाद अभियुक्त अपनी पत्नी के साथ छिद्दरवाला, रायवाला में किराये पर कमरा लेकर रहने लगा, इसी बीच अभियुक्त के पिता की गुमशुदगी के सम्बंध में अभियुक्त की तलाश करते हुए हरियाणा पुलिस के अभियुक्त के ससुराल हरिद्वार में आने की जानकारी उसे प्राप्त हुई, जिस पर अभियुक्त अपनी पत्नी के साथ छिददरवाला में किराया का कमरा छोडकर तपोवन, मुनिकिरेती भाग गया तथा 27 दिसम्बर से 14 जनवरी तक तपोवन मुनिकीरेती स्थित आराधना पैलेस होटल में रूका। इस दौरान अभियुक्त की पत्नी तान्या को अभियुक्त द्वारा अपने पिता की हत्या करने की जानकारी होने पर अभियुक्त द्वारा पकड़े जाने के डर से अपनी पत्नी की हत्या करने की योजना बनायी तथा 13 जनवरी को अभियुक्त शुभम अपनी पत्नी तान्या को लेकर स्कूटी से तपोवन से जॉलीग्रांट आया, जहां से उसके द्वारा जॉलीग्रांट पार्किंग में पूर्व से खडी की गई अपनी कार से अपनी पत्नी को थानों होते हुए बडासी पुल लाया गया, जहाँ उसने अपनी पत्नी के सर पर गोली मारकर उसे पुल से नीचे फेंक दिया और कार से वापस जॉलीग्रांट पहुँचा। जॉलीग्रांट में अभियुक्त ने अपनी कार को पार्किंग में खडा किया और स्कूटी से वापस तपोवन चला गया। घटना के अगले दिन भी अभियुक्त तपोवन में ही रूका, उसके पश्चात अभियुक्त अपनी स्कूटी से दिनांक 15 जनवरी 2024 को मसूरी पहुँचा और तब से ही मसूरी के साक्षी होम स्टें में रूका था। इस दौरान अभियुक्त द्वारा अपने पिता की हत्या के उपरान्त उनके बैंक खातों से लगभग 6.50 लाख रू0 निकाले गये है, जिनसे वो अपने सभी खर्चों की पूर्ति कर रहा था। गाड़ी में लगी फर्जी नंबर प्लेट तथा अभियुक्त से बरामद अवैध देसी पिस्टल के संबंध में जानकारी करने पर उसके द्वारा बताया गया कि उक्त देसी पिस्टलो को उसके द्वारा मेरठ में एक व्यक्ति से खरीदा था, जिससे उसकी इंस्टाग्राम के माध्यम से पहचान हुई थी तथा पुलिस को चकमा देने के लिए उसके द्वारा ओएलएक्स में

अपनी गाड़ी के मॉडल व रंग से मिलती जुलती गाड़ी के नंबर की जानकारी कर उक्त नंबर की फर्जी नंबर प्लेट बनाकर अपनी गाड़ी में प्रयोग की जा रही थी। अभियुक्त की गिरफ्तारी के संबंध में सोनीपत के सिविल लाइन थाने की पुलिस को भी सूचित किया गया है।

नाम/पता अभियुक्तः-

शुभम पुत्र प्रभुदयाल निवासी- म0न0- 6/485 महावीर कालोनी, थाना- सिविल लाइन, सोनीपत, हरियाणा, उम्र - 27 वर्ष।

बरामदगी का विवरणः-

(1) 02 देसी पिस्टल 32 बोर

(2) 03 जिंदा कारतूस, 02 खोखे

(3) घटना में प्रयुक्त इको स्पोर्ट्स कार

(4) स्कूटी बिना नम्बर प्लेट

(5) नगदी 48000/- ₹

(6) फर्जी नंबर प्लेट